201

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सागर

1— बाबूलाल तनय नन्नेभैया ब्राह्मण,

निग0 763-I/17

2— धर्मदास तनय नन्नेभैया ब्राह्मण,

3— गोकुल तनय नन्ने भैया ब्राह्मण,

4— रामजी तनय नन्नेभैया ब्राह्मण,

सभी निबासी— ग्राम फुटेर, तह0 खरगापुर, जिला टीकमगढ़

वनाम ....आवेदकगण

श्रीमति कमलेश पुत्री नन्ने भैया ब्राह्मण,

निबासी— ग्राम फुटेर, तह0 खरगापुर, जिला टीकमगढ़,

हाल निबासी— सागर, (म0प्र0) .... अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 75/अपील/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 31/01/2017 से परिबेदित होकर कर रहे हैं। जो समयसीमा में हैं, माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार हैं।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त बिवरण इस प्रकार है कि, प्रतिअपीलार्थी द्वारा एक अपील अधिनस्थ न्यायालय में ग्राम फुटेर की नामांतरण पंजी क्रमांक 14 दिनांक 06/09/2009 से परिबेदित होकर दिनांक 01/07/2016 को करीब सात साल उपरांत प्रस्तुत की थी। जिसके साथ उसके द्वारा जो धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था, उस आवेदन पत्र को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिलंब के बगैर पर्याप्त कारण के भी स्वीकार करके

राजेन्द्र पटेरिया (एड.)
बार रूम क्र. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि0- 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451002

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

जिला-टीकमगढ़

प्रकरण क्रमांक- निग.- 763-एक/ 2017

<u>बाबूलाल आदि विरूद्ध श्रीमती कमलेश</u>

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत ।	
	2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 75/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक ~~31-01-2016~~ 31.01.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 02-03-2017 को मुख्यालय ग्वालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।	
	3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –	
11.1.19	''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवतत होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उनहें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''	
	4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया	

जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगड़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 11.01.19
सदस्य